**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ**

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 910 / 2021

अनवान : –

1. ईशरदास पुत्र जगमाल जाति जाट साकिन गंगोई तहसील नोहर।

**– वादी**

**बनाम्**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

**–प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955**

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**

**पेरोकार राज**

**निर्णय** दिनांकः 10/06/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा गंगोई तहसील नोहर के साबिका ख.न. 47 मीन की 35 बीघा कृषि भूमि स्थित है जो वादी को दिनांक 19 / 7 / 1968 को आंवटित भूमि है। आवंटन को जयाद 10 वर्ष से अधिक समय होने के कारण वादी वाद भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका है।

गत पैमाईश रोही मौजा गंगोई तहसील नोहर के साबिका ख. न. 47 मीन के हाल ख.न. 107 में तब्दील एवं पैमुद हो गया। पूर्व में उक्त वाद भूमि बजड थी जिसे वादी ने नोतोड कर वाद भूमि से झाड़ी खोदकर टीले समतल करके उपजाउ बनाया तथा काश्त योग्य किस्म बनाई तथा उक्त भूमि सन् 1968 में वादी को कब्जा काश्त के आधर पर आंवटित हो गई खसरा गिरदावरी, सम्बत 2011 वादी साबिका ख.न. 47 में काश्त दर्ज है। तथा सम्बत 2020 सम्बत 2021 से 2023 में काश्त दर्ज है उक्त भूमि वादी की कब्जा काश्त में आज भी बदस्तुर चली आ रही है जिसका वादी जायद 10 वर्ष से अधिक समय होने से कानूनी तौर से खातेदार काश्तकार हो चुका है। उपरोक्त आशयों की वादी घोषणा करापाने का अधिकारी है। वाद भूमि उत्तर में शेरसिंह पुत्र पोकरराम का खेत तथा दक्षिण में अमरसिंह जाति जाट व अगुणा पासा में सुगनाराम नायक व पन्नाराम नायक व नंदराम भाम्भु व जुगलाल पुत्र कानाराम का खेत है तथा हरिसिंह राजपूत का भी खेत है वादी ने उपरोक्त खेत के चारो और अपनी कदिम्बी सींव डोल कायम कर रखी है वादी उपरोक्त वाद भूमि मय ढाणी के आबाद है। गत भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा साबिका ख.न. 47 की 35 बीघा भूमि वादी के खातेदारी दर्ज करने के बजाय उक्त भूमि गै.मु. कतई अनुचित एवं गलत तौर से दर्ज कर दी जबकि भू–प्रबन्धक विभाग को वादी के आवंटन के आधगार पर उक्त भूमि खातेदारी दर्ज करनी चाहिए थी भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा वर्तमान इन्द्राज पूर्ववर्ति खतौनियात व आवंटन के खिलाफ है तथा भू–प्रबन्धक का उक्त कृत्य मनमाना अनुचित व गैरकानूनी है तथा वादी के खातेदारी हकुक के खिलाफ है एवं 20.682 हेक्टर भूमि में से 35 बीघा अर्थात 8.855 हैक्टर भूमि का वादी गै. मु. कलमजन करवाकर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का मजाज है।

वर्तमान में रोही मौजा गंगोई तहसील नोहर के खाता सं. 1 के ख.न. 107 की 20.682 हैक्टर भूमि जो गै. मु. वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त भूमि सम्बत 2011 से लेकर

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

आजतक वादी के बदस्तुर कब्जा काश्त में चली आ रही है। तथा उक्त भूमि वादी को आंवटित भूमि है जिसका वादी ज्यादा 10 वर्ष से अधिक की कब्ज काश्त होने के कानूनी तौर पर खातेदार काश्तकार हो चुका है। परन्तु उक्त भूमि गै.मु. दर्ज रहने से वादी के खातेदारी हकुक पर विपरित एवं बैजा असर पड़ता है। वादी ने उक्त भूमि की सींव डोल कायम करके उक्त भूमि को उम्दा कृषि भूमि योग बना रखा है। वर्तमान में ग्वार व बाजारा की की फसल बोई हुई है। तथा प्रतिवादी राजस्व रिकार्ड से उक्त भूमि गै.मु. दर्ज रहने से बेदखल करने पर आमदा है यदि प्रतिवादी अपने उपरोक्त मकसद में कामयाब हो जाता है तो वादी को अपूर्णीय क्षति कारित होती है इसलिए वादी प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवापाने का मजाज है कि वो वाद भूमि से बेदखल करने से निषिद्ध रहे। उपरोक्त आशयों की वादी घोषणा करापाने का अधिकारी है।

वाद वादी घोषणा की जावे की रोही मौजा गंगोई तहसील नोहर के खाता सं. 1 के ख.न. 107 की 20.682 हैक्टर भूमि में से वादी 8.855 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा 8.855 हैक्टर भूमि का वादी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करके तदनुसार राजस्व रिकार्ड संशोधित किया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पेरोकार राज द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वर्तमान में रोही मौजा गंगोई तहसील नोहर के खाता सं. 1 के ख.न. 107 की 20.682 हैक्टर भूमि जो गै. मु. वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त भूमि सम्बत 2011 से लेकर आजतक वादी के बदस्तुर कब्जा काश्त में चली आ रही है। तथा उक्त भूमि वादी को आंवटित भूमि है जिसका वादी ज्यादा 10 वर्ष से अधिक की कब्ज काश्त होने के कानूनी तौर पर खातेदार काश्तकार हो चुका है। परन्तु उक्त भूमि गै.मु. दर्ज रहने से वादी के खातेदारी हकुक पर विपरित एवं बैजा असर पड़ता है। वादी ने उक्त भूमि की सींव डोल कायम करके उक्त भूमि को उम्दा कृषि भूमि योग बना रखा है। वर्तमान में ग्वार व बाजारा की की फसल बोई हुई है। तथा प्रतिवादी राजस्व रिकार्ड से उक्त भूमि गै.मु. दर्ज रहने से बेदखल करने पर आमदा है। गत भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा साबिका ख.न. 47 की 35 बीघा भूमि वादी के खातेदारी दर्ज करने के बजाय उक्त भूमि गै. मु. कतई अनुचित एवं गलत तौर से दर्ज कर दी जबकि भू–प्रबन्धक विभाग को वादी के आवंटन के आध गार पर उक्त भूमि खातेदारी दर्ज करनी चाहिए थी भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा वर्तमान इन्द्राज पूर्ववर्ति खतौनियात व आवंटन के खिलाफ है तथा भू–प्रबन्धक का उक्त कृत्य मनमाना अनुचित व गैरकानूनी है तथा वादी के खातेदारी हकुक के खिलाफ है एवं 20.682 हेक्टर भूमि में से 35 बीघा अर्थात 8.855 हैक्टर भूमि का वादी गै. मु. कलमजन करवाकर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का मजाज है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा रोही मौजा गंगोई तहसील नोहर के खाता सं. 1 के ख.न. 107 की 20.682 हैक्टर भूमि में से वादी 8.855 हैक्टर भूमि को गै0मु0 से अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने हेतु यह वाद पेश किया गया है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा गंगोई तहसील नोहर के ख.न. 107 की 20.682 हैक्टर भूमि में से वादी 8.855 हैक्टर गै0मु0 दर्ज



Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है। राजपेरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब के मुताबिक उक्त भूमि गै0मु0 जोहड़ पायतन दर्ज है मौके पर सघन वृक्षारोपण है जो वन विभाग द्वारा किया गया है उक्त खसरो पर वादी द्वारा कभी भी काश्त नही किया गया है अत उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वादी गै0मु0 से खातेदारी दर्ज करवा पाने का अधिकारी नही है। अत वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों सबूतों के अभाव में एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक ......10/06/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

# पर्चा डिक्री

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 910 / 2021

अनवान : –

**1.** ईशरदास पुत्र जगमाल जाति जाट साकिन गंगोई तहसील नोहर।

**– वादी**

**बनाम्**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

**–प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 910 सन 2021 निर्णय दिनांक** 10/06/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मदन मोहन जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/06/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

**(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)**
**उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)**
**एवं सहायक कलक्टर**
**नोहर**